न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
उपस्थित : विकास कुमार–I, उच्चतर न्यायिक सेवा
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–795/2026
वैष्णुदास उर्फ विष्णु दास प्रति उत्तर प्रदेश राज्य

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या–54/2026, धारा 191(2),115(2),109(1), 351(3),127(2),333,324(5) भारतीय न्याय संहिता, थाना वृन्दावन, जिला मथुरा के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त **वैष्णुदास उर्फ विष्णु दास** की ओर से स्वयं को जमानत प्रदान किए जाने के लिए यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

3– आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र एवं समर्थित शपथपत्र द्वारा रविशंकर पर बल देते हुए मुख्यतः इस आशय के तर्क प्रस्तुत किए गए हैं कि वह निर्दोष है तथा वादी ने पुलिस से सांठ–गांठ कर झूंठा फंसाया है। यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय में न लगाया, न ही खारिज हुआ है। वह प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। वह बचपन से ही साधु प्रकृति का है तथा भजन पाठ पूजा करता है। वह दिनांक 21.01.2026 को सुबह 4 बजे परिक्रमा लगा रहा था, तभी परिक्रमा मार्ग में कुछ लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे, उसका झगड़े से कोई संबंध नहीं है, न वह झगड़े में शामिल था। वह झगड़ा करने वालों को नहीं जानता है। उसका कथित घटना से कोई संबंध नहीं है। उसके कब्जे से कोई स्टील की रॉड बरामद नहीं हुई। सह अभियुक्तगण अंकित व करन चौधरी की जमानत स्वीकार की जा चुकी हैं, उसका केस भी न्यायिक समानता का है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। वादी व अन्य लोगों के गंभीर चोट नहीं है। वह जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। अतः उसे दौरान मुकदमा जमानत प्रदान की जाय।

4– प्रतिवाद में अभियोजन पक्ष की ओर से केस डायरी व थाना आख्या को संदर्भित करते हुए मुख्यतः इस आशय के तर्क प्रस्तुत किए गए हैं कि प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक / अभियुक्त आदि द्वारा वादी मुकदमा शोभित श्रीवास्तव को होटल के ही पास में खाना खाते जाते समय अटल्ला चौराहे की तरफ से एक लाल रंग की स्विफ्ट कार के चालक द्वारा वादी के साथी बलराम सिल्पी के पैर पर गाड़ी चढ़ा देना, इसका विरोध करने पर वादी व उसके साथियों के साथ लाठी–डंडों व लोहे की छड़ से मारपीट करना व भाग कर अपने निवासित होटल श्याम इन में पहुँचने पर वहाँ भी ढूँढ़कर एक राय होकर होटल के कमरा नंबर 201 का दरवाजा तोड़कर जान से मारने की नीयत से वादी के साथी सोनू विश्वकर्मा को लाठी–डंडों व लोहे की छड़ से बुरी तरह से मारना, सब लोगों के होटल से भागने पर जान से मारने की धमकी देते हुए व वादी व वादी के साथियों का पीछा करते हुए होटल के बाहर वादी के साथी आदर्श गौतम को घेर कर जान से मारने की नीयत से सभी लोगों को लोहे की रॉड व लाठी–डंडों से बुरी तरह मारना–पीटना व आदर्श गौतम को बचाने आए उसके पिता आनन्द गौतम को भी जान से मारने की नीयत से मारना–पीटना, होटल के बाहर वादी व उसके साथियों की खड़ी गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर देना आदि आक्षेपित है। घटना में बुरी तरह से चुटैल हुए आनन्द गौतम, आदर्श गौतम व सोनू विश्वकर्मा की चोटों को निगरानी में रखा गया है और अभी इस प्रकरण की विवेचना चल रही है।

Digitally signed by VIKAS KUMAR
Date: 2026.03.10 17:22:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

5– प्रत्युत्तर में अभियुक्त पक्ष के तर्क हैं कि सह अभियुक्तगण अंकित व राकेश सिंह उर्फ करन चौधरी की जमानते पूर्व में स्वीकार हो चुकी हैं। वह प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 19.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

6– वादी पक्ष की ओर से चुटैल बताए गए आनन्द गौतम, आदर्श गौतम व सोनू विश्वकर्मा में से किसी चुटैल की कोई चोट गम्भीर या प्राणघातक प्रकृति की हो, ऐसा कोई तर्क इस स्तर पर अभियोजन पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। सह अभियुक्तगण अंकित व राकेश सिंह उर्फ करन चौधरी की जमानते पूर्व में स्वीकार हो चुकी हैं।

आवेदक/अभियुक्त को दिनांक 19.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में होना बताया गया है और उसकी किसी पूर्व दोषसिद्धि के सम्बन्ध में भी अभियोजन पक्ष की ओर से कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्त को सशर्त जमानत प्रदान किए जाने का न्यायोचित आधार है।

तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त **वैष्णुदास उर्फ विष्णु दास** द्वारा मुवलिग 1,00,000/–(एक लाख) रूपए का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्ब–न्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत किए जाने पर उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन निय–मानुसार जमानत पर रिहा किया जाय–

क– आवेदक/अभियुक्त समान प्रकार के अपराध में पुनः लिप्त नहीं होगा,

ख– आवेदक/अभियुक्त प्रश्नगत विवेचना/विचारण में अपने स्तर से कोई विलम्ब कारित नहीं करेगा,

ग– आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा,

घ– आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण को न डरायेगा और न धमकायेगा तथा अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ भी नहीं करेगा,

ड़– आवेदक/अभियुक्त आरोप विरचित किए जाने, अपने कथन अंकित किए जाने एवं निर्णय हेतु नियत तिथियों पर आवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह इस जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा को ई०मेल districtjailmathura@gmail.com पर आवेदक/अभियुक्त के अभिलेख हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

दिनांक–10.03.2026

(विकास कुमार–।)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
I.D.No.U.P. 1910

खेम सिंह, पी०एस०